

विधान सभा सत्र फरवरी-अप्रैल 2016

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-7365 के उत्तरांश 'ख' का परिशिष्ट-एक

1. प्रश्नकर्ता द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वर्किंग प्लान) संतपुड़ा भवन भोपाल को प्रेषित पत्र :-

पत्र क्रमांक	दिनांक	विषय
20/वन/2016	06.02.2016	राजपत्र में डीनोटीफाईड भूमियों से संबंधित जानकारी।
21/वन/2016	06.02.2016	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अनुसार संरक्षित वन अधिसूचित किया जाना।
22/वन/2016	06.02.2016	वनखण्डों में शामिल निजी भूमि की जानकारी।
23/वन/2016	06.02.2016	मुख्य सचिव के आदेश दिनांक 24 जुलाई 2004 का पालन न किया जाना।
24/वन/2016	06.02.2016	धारा-29 एवं धारा-4(1) में अधिसूचित भूमियों पर अधिकारों का अभिलेखन।
25/वन/2016	06.02.2016	संरक्षित वन से संबंधित विभागीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करवाया जाना।

2. प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त छतरपुर को प्रेषित पत्र :-

पत्र क्रमांक	दिनांक	विषय
26/वन/2016	29.02.2016	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अनुसार संरक्षित वन अधिसूचित किया जाना।
27/वन/2016	29.02.2016	राजपत्र में डीनोटीफाईड भूमियों से संबंधित जानकारी।
28/वन/2016	29.02.2016	धारा-29 एवं धारा-4(1) में अधिसूचित भूमियों पर अधिकारों का अभिलेखन।
29/वन/2016	29.02.2016	संरक्षित वन से संबंधित विभागीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करवाया जाना।
30/वन/2016	29.02.2016	वनखण्डों में शामिल निजी भूमि की जानकारी।
31/वन/2016	29.02.2016	मुख्य सचिव के आदेश दिनांक 24 जुलाई 2004 का पालन न किया जाना।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग शाखा-2

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-भू अभि०)
मध्यप्रदेश, भोपाल

21/3/16
(बी.के. मिश्रा)